

बजट का नरिमाण

प्रलिमिस के लयि:

बजट और संबधति संवैधानकि प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

बजट के घटक, बजट के उद्देश्य और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, वत्तीय नीति, FRBM ।

चर्चा में क्यौं?

01 फरवरी, 2022 को वत्ति मंत्री द्वारा संसद में पेश कयि जाने वाला केंद्रीय बजट 'वकिस, मुद्रास्फीति और व्यय' से संबधति चतिओं को संबधति करेगा ।

- **बजट**, सरकार के 'व्यय', कर लगाने की योजना है और अन्य लेनदेनों, जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावति करते हैं, का ब्लूपरटि होता है ।
- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक कसीं वशिषिट वत्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षकि वत्तीय वविरण (AFS) कहा जाता है ।
- वत्ति मंत्रालय में आर्थकि मामलों के वभिण का 'बजट प्रभाग' बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल नकिय है ।

प्रमुख बढि

- **बजट के घटक**: केंद्रीय बजट के मुखयत: तीन प्रमुख घटक होते हैं- व्यय, प्राप्तयिँ और घाटा । परिभाषा के आधार पर व्यय, प्राप्तयिँ और घाटे के कई वर्गीकरण और संकेतक हो सकते हैं ।
- **व्यय**:
- **संपत्ति और देनदारयिँ पर उनके प्रभाव के आधार पर**:
- पूंजीगत व्यय एक टकिऊ प्रकृति की संपत्ति का नरिमाण करने या आवर्ती देनदारयिँ को कम करने के उद्देश्य से कयि जाता है ।
 - इसके तहत नए स्कूलों या नए अस्पतालों के नरिमाण हेतु कयि गया व्यय शामिल होता है । इन सभी को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कयि जाता है क्यौंकवै नई संपत्ति के नरिमाण की ओर ले जाते हैं ।
- **राजस्व व्यय** में कोई भी ऐसा व्यय शामिल होता है, जो संपत्ति के नरिमाण या देनदारयिँ को कम नहीं करता है ।
 - मज़दूरी और वेतन, सब्सिडी या ब्याज़ भुगतान पर व्यय को आमतौर पर राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत कयि जाता है ।

वभिन् क्षेत्रों को प्रभावति करने के आधार पर:

- व्यय को (i) सामान्य सेवाओं (ii) आर्थकि सेवाओं, (iii) सामाजकि सेवाओं और (iv) सहायता अनुदान एवं योगदान में वर्गीकृत कयि गया है ।
- आर्थकि और सामाजकि सेवाओं पर व्यय के योग से वकिस व्यय का नरिमाण होता है ।
 - आर्थकि सेवाओं में परिवहन, संचार, ग्रामीण वकिस, कृषि एवं संबध क्षेत्रों पर व्यय शामिल होता है ।
 - शकिषा या स्वास्थ्य सहति सामाजकि क्षेत्र पर व्यय को सामाजकि सेवाओं के रूप में वर्गीकृत कयि गया है ।
- इसी प्रकार परसंपत्ति नरिमाण या देयता में कमी पर इसके प्रभाव के आधार पर वकिस व्यय को आगे राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कयि जा सकता है ।
- **प्राप्तयिँ**:
 - सरकार की प्राप्तयिँ के तीन घटक होते हैं- राजस्व प्राप्तयिँ, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तयिँ और ऋण-सृजन पूंजी प्राप्तयिँ ।
 - राजस्व प्राप्तयिँ में ऐसी रसीदें शामिल होती हैं जो देनदारयिँ में वृद्धि से जुड़ी नहीं होती हैं और इसमें करों व गैर-कर स्रोतों से राजस्व भी शामिल होता है ।
 - गैर-ऋण प्राप्तयिँ (Non-debt receipts) पूंजीगत प्राप्तयिँ का हसिसा हैं जो अतरिकित देनदारयिँ उत्पन्न नहीं करती हैं । ऋण की वसूली और वनिविश से प्राप्त आय को भी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तयिँ माना जाएगा क्यौंकवै इन स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने से देनदारयिँ या भवष्य की भुगतान प्रतबिद्धताओं में सीधे वृद्धि नहीं होती है ।

- ऋण-सृजन पूंजी प्राप्तियों (Debt-creating capital receipts) वे हैं जिनमें सरकार की उच्च देनदारियाँ और भवषिय की भुगतान प्रतबिद्धताएँ शामिल होती हैं।

■ राजकोषीय घाटा:

- परिभाषित रूप में राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि सरकार शुद्ध रूप में कतिना खर्च कर रही है।
- चूँकि सकारात्मक राजकोषीय घाटा राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक व्यय की मात्रा को दर्शाता है, इसलिये इसे ऋण-सृजन पूंजी प्राप्तिद्वारा वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है।
- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
- राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर निकाला जाता है।

■ अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभाव/नहितार्थ:

- सभी सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र द्वारा नज्दी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शामिल होती है।
- सभी कर और गैर-कर राजस्व नज्दी क्षेत्र की शुद्ध आय को कम करते हैं एवं इससे नज्दी और कुल मांग में कमी आती है।
- लेकिन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सकल घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्त और व्यय में सामान्यतः समय के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है।
- इस प्रकार व्यय और प्राप्तियों के निरपेक्ष मूल्य की प्रवृत्ति का बजट के सार्थक विश्लेषण हेतु बहुत कम उपयोग होता है।
 - व्यय और राजस्व की प्रवृत्ति का विश्लेषण या तो सकल घरेलू उत्पाद द्वारा किया जाता है या फरि मुद्रास्फीतिदर के लिये लेखांकन के बाद विकास दर के रूप में किया जाता है।
 - व्यय जीडीपी अनुपात (**Expenditure GDP Ratio**) में कमी या राजस्व प्राप्ति-जीडीपी अनुपात (**Revenue Receipt-GDP Ratio**) में वृद्धि सकल मांग को कम करने के लिये सरकार की नीति को इंगित करती है।
 - इसी प्रकार राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात (**Fiscal Deficit-GDP Ratio**) और प्राथमिक घाटा-जीडीपी अनुपात (**Primary Deficit-GDP Ratios**) में कमी और वृद्धि सरकार की मांग को कम करने की नीति को इंगित करती है।
- चूँकि व्यय और राजस्व के विभिन्न घटकों का विभिन्न वर्गों व सामाजिक समूहों की आय पर अलग-अलग प्रभाव हो सकता है। बजट का आय वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है।
 - उदाहरण के लिये रोजगार गारंटी योजनाओं या खाद्य सब्सिडी जैसे राजस्व व्यय सीधे गरीबों की आय को बढ़ा सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट कॉर्पोरेट आय को सीधे एवं सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

राजकोषीय नियम और नीति पर इसका प्रभाव

- **अर्थ:** राजकोषीय नियम विशिष्ट नीति लक्ष्य प्रदान करते हैं जिनके आधार पर राजकोषीय नीति बनाई जाती है।
 - विभिन्न नीतित्म साधनों का उपयोग करके नीतित्म लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। ऐसा कोई विशिष्ट वित्तीय नियम मौजूद नहीं है जो सभी देशों पर लागू हो। बल्कि नीतिके लक्ष्य आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं और एक अर्थव्यवस्था की विशिष्टता पर निर्भर करते हैं।
 - राजकोषीय नीतिका तात्पर्य आर्थिक स्थितियों विशेष रूप से व्यापक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिये सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, रोजगार, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विकास शामिल होते हैं।
- **भारत का मामला:** इसका वर्तमान वित्तीय नियम एन.के. सहि समितिकी रिपोर्ट (2016 में स्थापित) द्वारा निर्देशित है
 - असाधारण अवधि के तहत कुछ वचिलन की अनुमति के साथ इसके तीन नीति लक्ष्य हैं - ऋण-जीडीपी अनुपात (स्टॉक लक्ष्य), राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात (प्रवाह लक्ष्य) और राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात (संरचना लक्ष्य) का एक विशिष्ट स्तर बनाए रखना।
 - यद्यपि व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों संभावित रूप से राजकोषीय नियमों के विशिष्ट समूह को पूरा करने के लिये नीतित्म साधनों के रूप में कार्य कर सकते हैं, मौजूदा नीति ढाँचे के भीतर कर-दरें अर्थव्यवस्था की व्यय आवश्यकता से स्वतंत्र निर्धारित की जाती है।
 - संस्थागत ढाँचे में यह मुख्य रूप से वह व्यय है जिसे दिये गए कर-अनुपातों पर राजकोषीय नियमों को पूरा करने हेतु समायोजित किया जाता है।
- **नहितार्थ:** इस तरह के समायोजन तंत्र में राजकोषीय नीतिके लिये कम-से-कम दो संबंधित, लेकिन विश्लेषणात्मक रूप से अलग नहितार्थ हैं।
 - सबसे पहले अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने या श्रम आय को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक व्यय की सीमा से स्वतंत्र, मौजूद वित्तीय नियम तीन नीतित्म लक्ष्यों को लागू करके व्यय पर एक सीमा प्रदान करते हैं।
 - दूसरा, किसी भी स्थिति में जब ऋण-अनुपात या घाटा अनुपात लक्षित स्तर से अधिक होता है, तो नीतित्म लक्ष्यों को पूरा करने के लिये व्यय को समायोजित किया जाता है।
 - नहितार्थ से अर्थव्यवस्था की स्थिति और वस्तुवादी राजकोषीय नीतिकी आवश्यकता से स्वतंत्र, मौजूदा नीतित्म लक्ष्य सरकार को व्यय कम करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।
 - बेरोजगारी और कम उत्पादन वृद्धिदर की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिये राजकोषीय नीतिकी अपर्याप्तता के बीच भारत में राजकोषीय नियमों की प्रकृति और उद्देश्य की फरि से जाँच करनी होगी।

एन.के. सहि समितिकी सफारिशें:

■ ऋण-जीडीपी अनुपात:

- वित्त वर्ष 2022-23 तक केंद्र सरकार के लिये ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 38.7% तथा राज्य सरकारों के लिये 20%

होना चाहिये।

- राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात:
 - सरकार को 31 मार्च 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे को लक्ष्यित करना चाहिये, इससे वर्ष 2020-21 में 2.8% और 2023 तक 2.5% तक कम करना चाहिये।
- राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात:
 - राजस्व घाटा- GDP अनुपात (Revenue deficit to GDP ratio) में प्रतिवर्ष 0.25% अंकों तक कमी की जाए एवं वर्ष 2023 में इसे 0.8% तक लाया जाए।
- मौजूदा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट परबंधन (FRBM) अधिनियम को नरिस्त करने तथा एक वित्तीय परिषद बनाने के बाद एक नया ऋण व वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाने की सफारिश करना।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/formulation-of-the-budget>

